Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में नगर पालिका भीनमाल का अधिशासी अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक 4 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 नवम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आशुतोष आचार्य अधिशासी अधिकारी एवं जगदीश जाट कनिष्ठ सहायक नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर को परिवादी से **4 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में आशुतोष आचार्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर द्वारा **12 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के अनुनय करने पर आरोपी **5 लाख रुपये** रिश्वत लेने पर सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** तथा एसीबी जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये आशुतोष आचार्य पुत्र श्री चतुर्भुज आचार्य निवासी जोधपुर हाल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर एवं जगदीश जाट पुत्र श्री देवाराम निवासी भीनमाल, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक नगर पालिका भीनमाल, जिला जालोर को परिवादी से **4 लाख रूपये (50 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 3 लाख 50 हजार रुपये की डमी करेंसी)** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।